सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार शर्मा,
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 62/2018

किलाण पुत्र प्रभाती लाल जाति मीना निवासी टाटया थैलावास तहसील बसवा जिला दौसा
...प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, बसवा जिला दौसा
2 शंभू पुत्र कन्हैयालाल जाति खटीक निवासी नारायणपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर
3. विनोद कुमार पुत्र रामजी लाल परेवा जाति खटीक निवासी बासखोह तहसील बस्सी जिला जयपुर
4. लालराम पुत्र मूलचंद जाति बैरवा निवासी गुढाकटला तहसील बसवा जिला दौसा
5. श्री राजवीर सिंह जी चौधरी अति0 जिला कलेक्टर, दौसा ..अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र स्थानांतरण

उपस्थितिः 1. श्री रामावतार बैरवा अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 02 व 04 की ओर से

निर्णय

दि0 06.06.2018

संक्षिप्त विवरण स्थानांतरण प्रा0 पत्र इस प्रकार है कि न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, दौसा के यहां प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य उनवानी किलाण बनाम सरकार अपील विचाराधीन है। प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की आशा न होने से यह स्थानांतरण प्रा0 पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया । विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, दौसा के यहां उनवानी किलाण बनाम सरकार अपील विचाराधीन है। उक्त अपील में कोई बहस नहीं हुई तथा बहस नहीं होने के बावजूद भी पीठासीन अधिकारी ने बॉदीकुई कैम्प में विपक्षी से मिलकर अपील खारिज करते हुए फैसला सुना दिया। इस बात का विरोध करने पर व विपक्षी अधिवक्ता से केस में पूछने पर कि क्या उक्त केस में बहस हुई या नही तब जाकर फैसला अपील खारिज करने का वापिस ले लिया गया। इससे यह स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी विपक्षीगण से मिले हुए है और अपील येन–केन कारण खारिज की जाकर उनको अनुचित लाभ पहुॅचाना चाहते है। अप्राथी महेंद्र ने धमकी दी कि उनकी पीठासीन अधिकारी से पटरी बैठ गयी है। प्रकरण का जल्द ही हमारे पक्ष में फैसला हो जावेगा। प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की आशा नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण श्रीमान् के समक्ष तलब कर बहस सुनकर निर्णय पारित करने की कृपा करे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष की बहस में दलील है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, दौसा के यहां उनवानी किलाण बनाम सरकार अपील विचाराधीन है। प्रा0 पत्र में अंकित तथ्य झूंठे एवं कपोल कल्पित है पीठासीन अधिकारी से कभी कोई वास्ता नहीं रहा न ही कभी किसी को कोई धमकी दी गई । माननीय न्यायालय द्वारा विधि प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। प्रार्थी बेवजह हैरान व परेशान करने की गरज से स्थानान्तरण प्रा0 पत्र श्रीमान् के समक्ष पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। अतः प्रा0 पत्र स्थानांतरण निरस्त फरमाया जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं अति0 जिला कलेक्टर, दौसा की रिपोर्ट दिनांक 28.03.2018 का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, दौसा के यहां उनवानी किलाण बनाम सरकार अपील विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 08.03.18 को जिस प्रार्थना–पत्र को खारिज करना अपने प्रा0 पत्र व वरवक्त बहस में बताया है, उसकी कोई नकल पेश नहीं की गई महज मौखिक आरोप लगाये गये है साथ ही अपील खारिज कर पुनः चालू करने बाबत भी ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये जिससे उनके कथन की पुष्टि नहीं होती है। पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में लगाये गये आरोप मनगढन्त होना बताया है तथा प्रकरण अन्यत्र स्थानांतरण करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होना अपने पत्र में अंकित किया है। पत्रावली, वरवक्त बहस व पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि मात्र प्रकरण को देरीना करने की गरज से यह प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रार्थी द्वारा अपने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अनेकों बिन्दु उठाये गये है, जिनका इस प्रार्थना पत्र से कोई सम्बन्ध न होकर विचाराधीन वाद की मेरिट से सम्बन्धित है। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के पक्ष में ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य/ सबूत पेश नही किये गये जिससे उनके कथन की पुष्टि नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी सबूत के कोई भी आरोप लगाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। पीठासीन पर लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होते है। प्रा0 पत्र आधारहीन एवं बेबुनियाद तथ्यों पर पेश किया गया है। इसलिए पूरे प्रकरण का अध्योपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप निराधार व बेबुनियाद है। ऐसी स्थिति में प्रा0 पत्र चलने योग्य नही है। अतः प्रा0 पत्र स्थानान्तरण खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का स्थानान्तरण प्रा0 पत्र खारिज किया जाकर अति0 जिला कलेक्टर, दौसा को निर्देशित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सबूत का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार प्रकरण का निस्तारण करें। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय प्रति भिजवाई जावें । बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 06 जून, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official